

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2015

अधिसूचना

का.आ. (अ.) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा 01 सितम्बर, 2015 से भारत में बैंकों के लिए, चाहे ऐसे बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल हों या न हों, प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है।

(फा.सं. 4/1/7/2015-आईआर)


(मोहम्मद मुस्तफा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।